पत्रांक–01/CL–10–09/2023, श्र०सं० - 5007
बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग

पटना, दिनांक– 12/09/2023

बाल श्रम उन्मूलन तथा किशोर निषेध एवं विनियमन हेतु राज्य कार्य योजना, 2017 से संबंधित विभागों के बैठकों को संयुक्त रूप से आयोजित कराने के संबंध में संयुक्त मार्गदर्शन।

आप अवगत हैं कि श्रम संसाधन विभाग द्वारा बाल श्रम उन्नमूलन हेतु बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 का प्रवर्त्तन किया जाता है एवं बाल श्रम के विरूद्ध समग्र प्रयास को कार्यान्वित किये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा बाल श्रम उन्मूलन तथा किशोर निषेध एवं विनियमन हेतु राज्य कार्य योजना, 2017 लागू है। राज्य कार्य योजना के विभिन्न अध्यायों में सभी विभागों के लिए विस्तृत दायित्वों का वर्णन किया गया है एवं जिलास्तरीय टास्क फोर्स भी गठित है। इसके अतिरिक्त समाज कल्याण विभाग से संबंधित कई महत्वपूर्ण समिति जिला पदाधिकारियों के स्तर पर गठित है। इस क्रम में कहना है कि बाल श्रम के विरूद्ध गठित जिलास्तरीय टास्क फोर्स, बाल विवाह के विरूद्ध गठित जिलास्तरीय टास्क फोर्स, जिलास्तरीय मानव व्यापार समन्वय समिति एवं जिलास्तरीय बाल संरक्षण समिति की संरचना समरूप है। अतः उक्त सभी समिति/टास्क फोर्स की बैठक एक साथ आयोजित कराने से सदस्य विभागों के बीच आंकड़े समुचित रूप से साझा हो सकेगा एवं सभी विभागों का समग्र प्रयास बाल श्रम उन्मूलन, बाल संरक्षण, बाल विवाह के रोकथाम एवं मानव तस्करी रोकथाम की दिशा में राज्य सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों का सार्थक परिणाम मिल सके। सभी विभागों के एकीकृत बैठक हेतु ऐजेंडा इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

5.9.23
(प्रेम सिंह मीणा)
सचिव,
समाज कल्याण विभाग

5-9-2023
(डॉ॰बी० राजेन्दर)
प्रधान सचिव,
श्रम संसाधन विभाग